

बिहार सरकार  
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र०/BSP(H)CL-05/2018  
सेवा में,

/पटना, दिनांक-

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय: बिहार स्टेट पावर (हो०) कंपनी लि० कॉलोनी, पुनाईचक, पटना में Pre-fabricated community hall के निर्माण हेतु रू० 8.30 करोड़ (आठ करोड़ तीस लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

बिहार स्टेट पावर (हो०) कंपनी लि० कॉलोनी, पुनाईचक, पटना में Pre-fabricated community hall के निर्माण किया जाना आवश्यक है। जिसके लिए कुल अनुमानित लागत 8.30 करोड़ (आठ करोड़ तीस लाख) रूपये आकलित की गई है।

2. बिहार स्टेट पावर (हो०) कंपनी लि० कॉलोनी, पुनाईचक, पटना में वर्तमान community hall जीर्ण-शीर्ण अवस्था है, जिसकी जगह Pre-fabricated community hall का निर्माण होने से आवश्यक सुविधा प्राप्त होगी।

3. उक्त आलोक में बिहार स्टेट पावर (हो०) कंपनी लि० कॉलोनी, पुनाईचक, पटना में Pre-fabricated community hall के निर्माण हेतु रू० 8.30 करोड़ (आठ करोड़ तीस लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि माँग सं०-10, मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष-0111-बिहार स्टेट पावर (हो०) कम्पनी लि० की परियोजना, विपत्र कोड-10-4801051900111 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर (हो०) कंपनी लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0046- बिहार स्टेट पावर (हो०) कंपनी लि०, व्यय शीर्ष-L8448001200046 एवं प्राप्तियाँ-K-8448001200046 में जमा की जाएगी।

6. बिहार स्टेट पावर (हो०) कंपनी लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA274 से की जाएगी।

7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक-31.05.2017 के आलोक में परियोजना के स्वीकृति प्रदान की जाती है।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।



9. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु माननीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र०/BSP(H)CL-05/2018 के पृष्ठ संख्या-05/टि० पर दिनांक-31.12.2018 को प्राप्त है।

10. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र०/BSP(H)CL-05/2018 के पृष्ठ संख्या-08/टि० पर दिनांक-03.01.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/BSP(H)CL-05/2018

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/BSP(H)CL-05/2018 45

/पटना, दिनांक- 03/01/2019

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आईटी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्टिडिंग) कम्पनी लि०/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।